

सिन्हाई तथा बिद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). हरियाणा में कृषि पंपों को दी जाने वाली बिजली के लिए टैरिफ मीटर के अनुसार सप्लाई पर आधारित है। पंजाब में मीटर की प्रति अश्व-शक्ति, प्रति मास, पर से समान टैरिफ दर ली जाती है। दोनों राज्यों में शुल्क निर्धारित किए जाते हैं और प्रति मास वसूल किये जाते हैं। पंजाब में उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर है कि वे वार्षिक आधार पर अपने बिलों की अग्रिम अदायगी कर दें और ऐसे मामलों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। पंजाब में कृषि पंपों के लिए समान टैरिफ का ब्योरा निम्नलिखित है :—

कनेक्शन प्राप्त	शुल्क की समान दर
	रु० / बी० एच० पी० / मास
5 बी० एच० पी० तक	रु० 8.00
5 बी० एच० पी० से ऊपर और 7½ बी० एच० पी० तक	रु० 8.50
7½ बी० एच० पी० से ऊपर और 10 बी० एच० पी० तक	रु० 9.00
10 बी० एच० पी० से ऊपर और 12½ बी० एच० पी० तक	रु० 9.50
12½ बी० एच० पी० से ऊपर	रु० 10.00

(ग) पंजाब को छोड़कर, अन्य राज्यों में कृषि उद्देश्यों के लिए कोई समान टैरिफ नहीं है। कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली सप्लाई के संबंध में अन्य राज्यों में मीटर सप्लाई के आधार पर शुल्क विद्यमान है।

जूतों के निर्यात के लिये सरकारी क्षेत्र में जूता कारखाने स्थापित करना

5609. श्री महाराज सिंह भारती : क्या बंदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन तथा इटली को जूतों का निर्यात करने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र में दो आधुनिक जूता कारखाने स्थापित करने के संबंध में सरकार ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

बंदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : ब्रिटेन तथा इटली को जूतों का निर्यात करने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र में आधुनिक जूता कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में अभी कोई प्रस्थापना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

#### Floating of Pumping Sets in Bihar

5610. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to refer to the reply given to the Starred Question No. 376 on the 11th March, 1970 regarding priority in electrification for unprojected areas and state:

(a) whether in view of the delay being caused in the implementation of the Western Koshi Canal Scheme, its proposed command area is to be included in one of the 16 point projects during the Fourth Plan period;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether the scheme of floating pumping sets is proposed to be launched to utilise the waters of rivers Bhagmati, Kamala, Khirai and Burhi Gandak in North Bihar; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) (a) to (c). The 16 pilot projects under dry land agriculture development programme will be in those areas which fall within the rainfall range between 375 to 1125 mm. The scheme is still in the stage of formulation.

(d) and (e). No such proposal has been received from the State Government.